भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5331
उत्तर देने की तारीख 25.07.2019

कयर उद्योग का विकास

†5331. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कयर उद्योग के विकास के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को इन योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश से निर्यात किए गए कयर उत्पादों की मात्रा और मूल्य कितना है;

(घ) देश में कयर श्रमिकों के कल्याण के लिए लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या देश में उत्पादित कयर का अधिकांश हिस्सा केरल राज्य से है और सरकार कयर उत्पादों के निर्यात के लिए इस राज्य को विशेष सहायता प्रदान करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नितिन गडकरी)

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के अंतर्गत एक सांविधित निकाय, कयर बोर्ड, देश में कयर उद्योग के विकास के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम ''कयर विकास योजना'' का कार्यान्वयन कर रहा है। स्कीम में निम्नलिखित घटक हैं:-

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी
2. कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (सीआईटीयूएस)
3. कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना
4. निर्यात बाजार संवर्धन
5. घरेलू बाजार संवर्धन
6. व्यापार और उद्योग संबंधी कार्यात्मक सहायता सेवाएं (टीआईआरएफएसएस)
7. कल्याण उपाय (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)

कयर बोर्ड के माध्यम से कयर उद्योग में निम्नलिखित कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं:

1. परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)
2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कयर बोर्ड को कयर विकास योजना के अंतर्गत जारी निधियों का ब्योरा **अनुबंध-I** में दिया गया हैः

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश से निर्यात कयर उत्पादों का ब्योरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) कयर बोर्ड दुर्घटनाओं से मृत्यु अथवा विकलांगता के लिए कयर कामगारों को वित्तीय प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए ''कयर कामगार समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना'' नामक एक कल्याण स्कीम का कार्यान्वियन करता रहा है। 1 जून, 2016 से स्कीम को 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' (पीएमएसबीवाई) में मिला दिया गया है। पीएमएसबीवाई के अंतर्गत, अभी तक कुल 44634 कयर कामगारों को नामांकित किया गया है और प्रीमियम के रूप में कयर बोर्ड द्वारा 2,74,824 रूपए की राशि व्यय की गई। स्कीम के अंतर्गत नामांकित कयर कामगारों का राज्य-वार ब्योरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ङ) कयर उद्योग के ज्यादातर मूल्य वर्धित उत्पाद केरल राज्य द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। कयर उद्योग के समग्र विकास के लिए कयर विकास योजना (सीवीवाई) के अंतर्गत केरल राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

****

दिनांक 25.07.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5331 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी निधियों का ब्योरा निम्नानुसार है:

रू. लाख में

क्र. सं.	स्कीम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	कयर विकास योजना				
(i)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	692.50	189.00	500.00	106.03
(ii)	कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना	331.84	200.00	482.87	367.85
(iii)	कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीआईटीयूएस)	62.72	100.00	1250.00	0.00
(iv)	निर्यात बाजार संवर्धन	147.00	300.00	200.00	143.00
(v)	घरेलू बाजार संवर्धन	729.74	990.00	1915.42	219.00
(vi)	व्यापार और उद्योग संबंधी कार्यात्मक सहायता सेवाएं	222.52	355.00	173.51	101.12
(vii)	कल्याण उपाय (पीएमएसबीवाई)	5.00	10.00	1.00	0.00
2.	कयर उद्यमी योजना**	1311.00	699.78	690.32	66.00
3.	परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)	1977.98*	0.00	2750.74	0.00

*स्फूर्ति के अंतर्गत जारी की गई निधि के अलावा-148.00 लाख रूपए का प्रशासनिक व्यय।

**1 अप्रैल, 2018 से पीएमईजीपी के साथ विलय कर दिया गया।

अनुबंध-II

दिनांक 25.07.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5331 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

विगत तीन वर्षों के दौरान देश से निर्यात कयर उत्पादों का ब्योरा निम्नानुसार हैः

	2016-17		2017-18		2018-19	
उत्पाद का नाम	**सं.**	**मूल्य**	**सं.**	**मूल्य**	**सं.**	**मूल्य**
कयर पिथ	490552	90539.11	548479	101846.82	566661	123208.48
कयर फाइबर	370357	53913.63	374320	70177.88	299279	60164.11
टफ्टिड मैट	51718	48442.83	54279	49591.41	54131	52225.03
हैंडलूम मैट	20144	21316.31	18277	18613.96	19367	21911.04
भू-वस्त्र	6219	4481.04	5845	3996.59	7674	5972.56
कयर यार्न	4426	2948.32	3328	2457.66	3408	2642.23
कर्लड कयर	10356	2419.30	8800	2316.26	10768	3137.02
हैंडलूम मैटिंग	1273	1535.25	1117	1394.79	1071	1436.08
रबरयुक्त कयर	888	1295.64	900	1388.64	807	1029.58
अन्य प्रकार के कयर	256	416.59	306	498.29	183	361.58
कयर रस्सी	484	388.50	491	401.72	486	439.79
कयर रग्स एवं कारपेट	205	271.92	254	269.58	195	243.96
पॉवरलूम मैट	166	196.38	37	57.75	8	15.89
पॉवरलूम मैटिंग	0	0.00	131	216.49	7	17.22
कुल	**957045**	**228164.82**	**1016564**	**253227.84**	**964046**	**272804.57**

मात्रा= मात्रा मीट्रिक टन में।

मूल्य= मूल्य लाख रू. में।

अनुबंध-III

दिनांक 25.07.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5331 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-III

स्कीम के अंतर्गत नामांकित कयर कामगारों का राज्य-वार ब्योरा निम्नानुसार हैः

	राज्य का नाम	**नामांकित कामगारों की संख्या**
1	केरल	25260
2	तमिलनाडु	7910
3	ओडिशा	5977
4	आंध्र प्रदेश	4810
5	कर्नाटक	20
6	पश्चिम बंगाल	10
7	पूर्वोत्तर क्षेत्र	38
8	महाराष्ट्र	259
9	गुजरात	350
	कुल	**44634**